

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज रैफ0सं0 38/17 तह0रूपवास बनाम मंगलसिंह</p>
<p>8.6.2018</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार रूपवास से गैर सायलान 4,5,6,7 के फौत होने संबंधी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुये वांछित कायम मुकामान की रिपोर्ट में काफी लम्बे अर्से से लम्बित है। प्रकरण में मृतक अप्रार्थी के कायम मुकामान की रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पत्रांक 332 दिनांक 10.4.2018 लिखे जाने के उपरान्त भी प्रार्थी तहसीलदार रूपवास की ओर से कोई कार्यवाही न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी का ही रहता है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज योग्य ही रहता है। इसके अलावा जारी नोटिस क्रमांक 1076/14.12.2017 एवं 287/23.2.2018 भी बाद तामील प्राप्त न होना एवं मृतकों के संदर्भ में वांछित रिपोर्ट के अभाव में प्रकरण को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वाद पेश किया जाना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। वकील प्रार्थी/पैरोकार सरकार द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत अथवा उज्रदारी पेश नहीं की गई जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थीगण संख्या 4,5,6,7 की मौत प्रस्तुत रैफरेंस के बाद हुई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित नियमों के अंतर्गत किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वाद दायर करना न्याय संगत न होने के कारण चलने योग्य नहीं रहता है। अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रूपवास को हिदायत दी जाती है कि वे प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मृतक गैर सायलान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुये नये सिरे से नियमानुसार पुनः रैफरेंस पेश करने हेतु स्वतन्त्र होंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर</p>